**मल्टीमीडिया प्रशिक्षण किट**

**प्रशिक्षक के नोट्स : संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता**

**डेविड सौतेर् द्वारा विकसित**

| | |
|---|---|
| प्रस्तावना | यह मॉड्यूल इस श्रृंखला का तीसरा भाग है जो कि मानवाधिकार, आईसीटी और इंटरनेट के बीच के तारतम्य, जिसमे शामिल है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रबंधन और संचार अधिकार के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेगा. इन सब के बीच के संबंधों को इस प्रयास से समझने की कोशिश की जाएगी , प्रयास किया जाएगा समझने का कि आईसीटी में हो रहे परिवर्तनों के कारण मनोरंजन के प्रतिमान, अधिकारों का प्रवर्तन और उनके उल्लंघन से होने वाली सम्भाव्यताएं और किस प्रकार से इन चुनौतियों का निराकरण सम्प्रेषण का प्रयोग करके किया जा सकता है.<br><br>इस मॉड्यूल का मुख्य प्रकाश रहेगा संघ बनाने के अधिकार, और एकत्रित होने के अधिकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनैतिक अधिकार ( आई सी सी पी आर ) के प्रतिमानों से सम्बध्द हैं.<br><br>इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी :<br><br>अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रबंधन के दायरे में इन कानूनों की व्याख्या और उनकी परिधियां। इंटरनेट का उनके प्रयोग, क्रियान्वयन और प्रभाव पर असर. इन अधिकारों के विशेष पहलुओं पर इंटरनेट का अन्य अधिकारों के बीच इस प्रबंधन में तारतम्य स्थापित करने का प्रयास. ऑनलाइन प्रयोग के दौरान सम्भाव्य उल्लंघन |
| समय निर्धारण, टाईमटेबल और प्रतिपादन प्रक्रिया | संस्तुतित समय सीमा प्रतिदिन के लिए 3 -3.30 घंटे, या आधा दिन है.<br><br>इस समय सीमा के अंदर विभिन्न विषयों के लिए निम्न समय सीमा की संस्तुति की जाती है:<br><br>- 15 मिनट कोर्से के बारे में बताने और प्रतिभागियों के परिचय के लिए<br><br>-30 मिनट -टेक्स्ट हैंड आउट के प्रस्तावना सामग्री के खंड 1-3, जिसमे प्रेजेंटेशन की |

| | |
|---|---|
| | स्लाइड संख्या 1 -10 का प्रयोग करना है.<br><br>-15 मिनट सवाल जबाब और शंका समाधान जो कि प्रारंभिक प्रेजेंटेशन और अन्य बातचीत से उभरे होंगे<br><br>(बहुत सारे समूहों में, यह सलाह दी जाती है कि इन सब को मिला के पढ़ाया जाए और बीच में कक्षा थोड़ी देर के लिए भंग की जाए ताकि सवाल पूछे जा सके और उससे पहले टेक्स्ट हैंड आउट 2 ,3 और 4 पर चर्चा कर ली जाए)<br><br>-20 मिनट -छोटे समूहों में बाँट दिया जाये और ग्रुप चर्चा की जाए जो कि केंद्रित होना चाहिए अधिकारों के ऊपर इंटरनेट के आम प्रभाव, और सवाल कोर्स सामग्री से पूछे जाएं<br><br>-10 मिनट - ग्रुप चर्चा से उत्पन्न विचारों पर रिपोर्ट<br><br>-20 मिनट- ब्रेक - जलपान और अनौपचारिक चर्चा<br><br>-20 मिनट टेक्स्ट हैंड आउट के खंड 4 में शामिल प्रारंभिक सामग्री पर चर्चा<br><br>-10 मिनट- इस प्रारंभिक चर्चा से उत्पन्न सवालों पर विचारों का आदान प्रदान<br><br>- 15 मिनट- समूहों में विभाजित करने के पश्चात ग्रुप चर्चा जिसमे विषय कोर्स सामग्री के किसी भी उदहारण या किसी परिस्थिती से लिया जाये<br><br>-15 मिनट - ग्रुप चर्चा - दुसरे उदहारण या केस स्टडी के ऊपर<br><br>( अगर समय काम हो तो एक केस स्टडी लेकर उसपर 20 मिनट चर्चा की जाये मिनट आवंटित किया जाये अपनी राय देने के लिए )<br><br>-30 मिनट- जिन मुद्दों के बारे में बातचीत की गयी उनका प्रशिक्षार्थियों के ऊपर और उनकी संस्थाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर चर्चा<br><br>-15 मिनट फीडबैक, निष्कर्ष और कार्यक्रम का समापन |

| | |
|---|---|
| पाठ्य सामग्री की रूपरेखा : विषय और सवाल | 1 . संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता का क्या मतलब है ?<br><br>2 . अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रबंधन में इस पर किस प्रकार की पाबंदियां है और ये पाबंदियां अन्य अधिकारों से किस प्रकार जुडी हुई हैं?<br><br>3 . संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता के ऊपर इंटरनेट के आने से क्या प्रभाव पड़ा है?<br><br>4 इन अधिकारों और अन्य अधिकारों के बीच, जिनमे शामिल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और निजता की स्वतंत्रता का आपस में संबंधों के ऊपर इंटरनेट के आने से क्या प्रभाव पड़ा है ?<br><br>5 . इन अधिकारों का अतिक्रमण और उनकी निर्धारित सीमाओं ऊपर इंटरनेट के आने से क्या प्रभाव पड़ा है?<br><br>6. अधिकारों के ऊपर काम करने वाले विशेषज्ञों को इंटरनेट के स्थापन के बाद की परिस्थिति का अपने कार्य क्षेत्र में प्रभाव का मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए? |
| लक्षित दर्शक | यह कोर्स ऐसे विशेषज्ञों और अन्य लोगों के लिए बनाया गया है जो कि मानवाधिकार और/या आईसीटी और इंटरनेट पर काम करते हैं, पत्रकार, विद्यार्थी या अन्य कोई और भी जिसे मानवाधिकार और/या आईसीटी और इंटरनेट जैसे विषय में रूचि है. यह कोर्स उपयुक्त और प्रासंगिक है, छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के समूहों के लिए, परन्तु कोर्स की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी की समूह में प्रशिक्षार्थियों की संख्या कितनी है और विषय से सम्बंधित उनका अनुभव किस प्रकार का है. समूह चर्चा के लिए समूह का स्वरुप छोटा श्रेयस्कर है. |
| अपेक्षित कुशलता / ज्ञान | मानवाधिकार और/या आईसीटी और इंटरनेट या दोनों. रूचि होनी चाहिए अधिकारों की उपयोगिता दोनों में और विपरीतता से. प्रशिक्षार्थियों के लिए ये फायदेमंद होगा अगर उन्होंने इस कार्यक्रम के पहले मॉड्यूल के कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो. |
| इकाई के लक्ष्य | मॉड्यूल के ख़त्म होने के बाद यह अपेक्षित है की प्रतिभागी को समझ आ जाए कि : |

| | |
|---|---|
| /अपेक्षित परिणाम | - संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता का क्या मतलब है ?<br><br>- तरीके जिनके द्वारा इंटरनेट इन अधिकारों को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है?<br><br>- अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार इंटरनेट के आने से इन और अन्य अधिकारों के बीच परिवर्तन आ रहे हैं ?<br><br>- तरीके जिनके द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करके इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है?<br><br>- इन लोगो को अधिकार और उसके प्रबंधन के परिपेक्ष्य में इंटरनेट की जटिलतायें और चुनौतियां समझ आ जानी चाहिए और साथ ही साथ इन लोगो से यह अपेक्षित है कि इस विषय पर चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार इंटरनेट विशेषज्ञ और अधिकारों के विशेषज्ञों क्षेत्र में इंटरनेट अपना प्रभाव छोड़ेगा, और इसका इनकी संस्थाओं पर क्या प्रभाव होगा |
| कार्यशाला से पहले की गतिविधियाँ | मॉड्यूल के लिए तैयार होने के लिए प्रशिक्षार्थियों से यह अपेक्षित है कि :<br><br>a. टेक्स्ट हैंड आउट पढ़ लिया होगा<br><br>b. कोर्स से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों से परिचित होंगे (उनके क्षेत्र से सम्बंधित प्रासंगिक धाराएं जो कि यूडीएचआर , आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर, और अन्य क्षेत्रीय संविदाओं से परिचित होंगे)<br><br>c. संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता से सम्बंधित राष्ट्रीय मुद्दों से परिचित होंगे<br><br>d. कुछ समय निर्धारित करें अपने देश और अपनी संस्था के परिपेक्ष्य में संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता से सम्बंधित कुछ चर्चा के बारे में - लगभग एक घंटा<br><br>कोर्स प्रारम्भ से पहले तैयारी कर लेने से कोर्स की प्रासंगिकता में प्रशिक्षार्थी के लिए |

| | |
|---|---|
| | गुणात्मक वृद्धि होगी तथा चर्चा गुणवत्त होने में सहायता मिलेगी. |
| अभ्यास और ग्रुप चर्चा | सत्रों का समय इस तरह से बनाया जाए ताकि समूह चर्चा के दो-तीन सत्र हो सकें और श्रेयस्कर होगा अगर विचार-विमर्श जाएं. ग्रुप की संख्या प्रतिभागियों की संख्या पर करेगी. कोशिश यह होनी चाहिए कि समूह में 5 -6 से ज्यादा सदस्य न हों. कार्यक्रम की रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए और अनौपचारिक भी, विशेषतः ऐसी परिस्थति में जहाँ दो से ज्यादा समूह हों , इसका उद्देश्य यह है कि प्रतिभगियों को आपस में विचारों का आदान प्रदान करने का पूरा मौका मिल सके.<br><br>जब केस स्टडी पर विचार-विमर्श हो रहा हो, तब प्रशिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभागियों का ध्यान- संक्षिप्त सूचना स्त्रोतों की तरफ आकर्षित किया जाए - जो कि प्रतिभागियों को दिए गए हैं, और उनको जरूरत के मुताबिक उपलब्ध करवाया जाये. |
| इकाई में शामिल स्त्रोत | 1. प्रशिक्षक के नोट्स (यह दस्तावेज)<br><br>2. प्रशिक्षार्थियों के लिए टेक्स्ट हैंडआउट्स ( प्रशिक्षण शुरू होने से पहले भेजे जाने चाहिए )<br><br>3. प्रेजेंटेशन स्लाइड्स<br><br>4. अतिरिक्त पठनीय सामग्री और स्त्रोत ( प्रशिक्षण शुरू होने से पहले भेजे जाने चाहिए, और इसलिए नोट्स दिए जाएं)<br><br>5. अभ्यास, केस अध्ययन, और समूह चर्चा ( जिसका चयन प्रशिक्षक करेगा )<br><br>6. कार्यशाला मूल्यांकन फॉर्म<br><br>7. कॉपीराइट वक्तव्य |
| अतिरिक्त प्रशिक्षण स्त्रोत | प्रशिक्षक को कोर्स की दो प्रमुख प्रसंगों से परिचित होना चाहिए-आईसीटी और संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता- और APछ द्वारा मानवाधिकार और आईसीटी पर किया गए काम का ब्यौरा और कार्यक्रम के अन्य मॉड्यूल की |

| | विषयवस्तु |
|---|---|
| आवश्यक उपकरण | एक कंप्यूटर वांछनीय सॉफ्टवेयर के साथ , जो कि एक डेटा प्रोजेक्टर से जुड़ा हो ताकि प्रेजेंटेशन किया जा सके और इंटरनेट कनेक्शन ताकि इंटरनेट से प्रशिक्षार्थियों को कुछ दिखाना हो तो दिखाया जा सके<br><br>फ़्लिपचार्ट और अन्य सामग्री जिसका समूह चर्चा और अभ्यास में प्रयोग किया जा सके |
| अतिरिक्त टिप्पणी | कुछ नहीं |